

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: प्रशि./जनप्र/जी-01/2017/

दिनांक :


अधीक्षक,  
संलग्न चिकित्सालय संघ,  
अजमेर/ बीकानेर/जयपुर/  
जोधपुर/कोटा/उदयपुर

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी  
अलवर/ भरतपुर/भीलवाडा/  
बांसवाडा/बाडमेर/जालौर/पाली/  
सीकर/ श्रीगंगानगर (राज0)

विषय : जीएनएम प्रशिक्षण में इन सर्विस एएनएम प्रशिक्षणार्थियों को 6 माह की प्रशिक्षण की छूट बाबत।

संदर्भ : मनीषा व्यास, जीएनएम प्रशिक्षणार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.2017 के कम में।

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि भारतीय नर्सिंग परिषद्, नई दिल्ली के परिपत्र अनुसार जीएनएम कोर्स प्रशिक्षण सत्र 2015-16 से तीन वर्ष का हो गया है। भारतीय नर्सिंग परिषद्, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 12.06.2015 के अनुसार एएनएम/ एलएचवी को मिडवाइफरी की छूट का प्रावधान नहीं है, (प्रति संलग्न है)। राज्य सरकार से उक्त प्रावधानों को सत्र 2015-16 से लागू करने की सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त कर ली गई है। अतः इन अभ्यर्थियों को नियमानुसार मिडवाइफरी प्रशिक्षण हेतु छः माह की छुट दिया जाना संभव नहीं है।

  
(डॉ. घनश्याम बैरवा)


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज. जयपुर

दिनांक : 7/9/17

क्रमांक: प्रशि./जनप्र/जी-01/2017/ 694

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमती मनीषा व्यास पुत्री श्री छगनलाल व्यास 53 गांधी नगर, सिंधी भवन के पास, सेक्टर 14, उदयपुर (राज0) को द्वारा उनके प्रधानाचार्य।
2. प्रभारी, सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।



(डॉ. घनश्याम बैरवा)  
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज. जयपुर